

**कार्यालय/Office**

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt.of Personnel, Raipur Division

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway

दू.भा./ Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फ़ैक्स/Fax : 72430 (Rly),
077192252290 (DOT)

E-Office File No. 133015

Date: 29-04-2024

अधिसूचना सं. 43/2024**NOTIFICATION NO. 43/2024**

विषय: रायपुर मंडल के परिचालन विभाग में स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर/बीएमवाई में पे मैट्रिक्स लेवल-07 में प्रशिक्षक की रिक्तियों को भरने के लिए चयन। Selection for filling up the vacancies of Instructor(ex-cadre) in Pay Matrix Level-07 at Staff Training Centre/BMY in Operating Department of Raipur Division.

सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर / बीएमवाई के तहत प्रशिक्षक के (स्थापना नियम संख्या 219/2005 और 262/2005 के संदर्भ में) निम्नलिखित गैर-राजपत्रित पदों को रायपुर डिवीजन, एसईसी रेलवे के ग्रहणाधिकार वाले ऑपरेटिंग विभाग से उपयुक्त उम्मीदवारों से लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा आयोजित करने के बाद चयन द्वारा भरना है। विवरण नीचे दिया गया है। With the approval of the competent authority, it is to fill up the following non-Gazetted posts in terms of Establishment Rule No.219/2005 and 262/2005 of Instructor under Staff Training Centre /BMY by selection after holding written test followed by viva-voce test for suitable candidates from the Operating Department having lien of Raipur Division, SEC Rly. Details are as given below.

S.N.	Department	No. Of Post	Pay Matrix Level	Remarks
1	Operating	01	Level-7	Only staff working in regular basis in Pay Matrix Level-7 or Level-8(Up gradation) of Operating Department of Raipur Division can apply.

1) पात्रता मानदंड और शर्तें ELIGIBILITY CRITERIA AND CONDITIONS:

a) रायपुर मंडल में ग्रहणाधिकार रखने वाले ऑपरेटिंग विभाग में कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। The staff working in the Operating Department having lien in Raipur Division can apply for the post of Instructor.

b) ऑपरेटिंग विभाग के पे मैट्रिक्स लेवल-7 या लेवल-8 (अपग्रेडेशन) में वास्तविक कार्यरत पद वाले कर्मचारी ही इंस्ट्रक्टर की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने के पात्र होंगे। समान/संबद्ध विभाग में कर्मचारी समान ग्रेड वेतन 4600/- या 4800/- (उन्नयन), लेवल-7 या लेवल-8(उन्नयन)। यदि, समान ग्रेड वेतन में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो जीपी से नीचे के कर्मचारियों यानी 4200, लेवल -6 पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, यदि प्रशिक्षक का पद जीपी रु. 4200 या उससे कम है, तो समान ग्रेड के कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। (स्था क्रमांक 141/2019) The staff actual working post in Pay Matrix Level-7 or Level-8(upgradation) of Operating Department only will be eligible to apply against the vacancy of Instructor.

Staff in same/allied department in identical Grade Pay in 4600/- or 4800/-(upgradation), Level-7 or Level-8(upgradation). If, staff in identical Grade Pay, are not available, then staff in next below GP i.e. 4200, Level-6 may be considered. However, if the post of Instructor is in GP Rs.4200 or below, the staff in identical grade will be eligible to apply. (Estt Srl.No.141/2019)

c) अधिसूचना की तिथि के अनुसार ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष होनी चाहिए। (स्था क्रमांक 141/2019)Upper age-limit as on date of notification should be 52 years. (Estt Srl.NO.141/2019)

d) प्रशिक्षक का न्यूनतम कार्यकाल तीन(03) वर्ष होगा। प्रमाणित रिकॉर्ड वाले प्रशिक्षक का कार्यकाल आठ (08) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।The minimum tenure of the Instructor will be three(03) years. The tenure of the Instructor with proven record can be extended up to eight (08) years.

e) इस प्रकार चयनित कर्मचारियों का ग्रहणाधिकार उनके मूल वरिष्ठता समूह में बनाए रखा जाएगा और कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें उनके पूर्व पद पर वापस भेज दिया जाएगा या प्रशासन द्वारा जल्दी वापस भेज दिया जाएगा। The lien of the staff so selected will be maintained in their parent seniority group and they will be sent back to their former post as and when the tenure is completed or repatriated early by the administration.

f) प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रशिक्षक के पद के लिए चयनित कर्मचारियों को स्थापना क्रमांक 141/2019 के अनुसार शिक्षण भत्ता दिया जाएगा। The staff so selected for post of Instructor for Training Center will be granted Teaching Allowance in terms of Estt. Srl.No. 141/2019.

g) शिक्षण भत्ता सदस्यों को बिना किसी सीमा के स्वीकार्य होगा और एफआर(9)(21)(2003)(21)-आर-II में परिभाषित अनुसार वेतन का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हालांकि, छुट्टी के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। वेतन। The teaching allowance will be admissible to the members without any ceiling and not form the part of pay as defined in FR(9)(21)(2003)(21)-R-II, but however, will count for the purpose of leave salary.

h) चूंकि प्रशिक्षकों को शिक्षण भत्ता दिया जाता है, इसलिए वे विशेष वेतन/प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के हकदार नहीं होंगे Since the Instructors are granted teaching allowance they will not be entitled to special pay/deputation (duty) allowance.

i) जो कर्मचारी पहले से ही एक्स-कैडर पोस्ट पर काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक्स-कैडर पोस्ट पर काम किया है, उन्हें अपने मूल कैडर में 03 साल की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि से पहले अनुमति नहीं दी जाएगी।The staff who are already working in the ex-cadre post and who have worked in the ex-cadre post will not be allowed before mandatory cooling off period of 03 years in their parent cadre.

2. पाठ्यक्रम SYLLABUS:

संभावित पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रकाशन के लिए संलग्न है। The tentative syllabus is enclosed for wide publication amongst the staff concerned.

3. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया Procedure for written examination :

Mode of examination	Computer Based Test
Duration of examination	120 Minutes
Total number of questions	110 with multiple choice questions (includes 10 questions on Rajbhasha Policy)(Attempt any 100 only)

Date of examination/venue	It will be intimated separately
Whether negative marking	Yes. One third of the marks will be deducted for each wrong answer.

4. चयन का तरीका और अर्हक अंक MODE OF SELECTION AND QUALIFYING MARKS.

- प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए 75 अंकों की लिखित परीक्षा और 25 अंकों का क्लासरूम लेक्चर ट्रायल आयोजित किया जाएगा। Written test for professional ability of 75 marks and Classroom lecture trial of 25 marks will be conducted.
- व्यावसायिक योग्यता:- चयन के क्षेत्र में कर्मचारियों की व्यावसायिक क्षमता का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। कर्मचारियों को व्यावसायिक योग्यता में 60% अंक प्राप्त करने होंगे।
Professional Ability: - The professional ability of the employees in the field of selection will be adjudged through written test. The employees must secure 60% of marks in professional ability.
- उन्हें व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% के साथ-साथ कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने होंगे। अंतिम पैनल लिखित परीक्षा (व्यावसायिक योग्यता) और उन्हें व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% के साथ-साथ कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने होंगे। अंतिम पैनल लिखित परीक्षा (व्यावसायिक क्षमता) और कक्षा व्याख्यान ट्रेल में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में तैयार किया जाएगा। They have to obtain minimum of 60 % in professional ability as well as 60% in aggregate. The final panel shall be drawn up in the order of merit based on aggregate marks secured in the written examination (Professional ability) and Classroom lecture trial.

विभिन्न शीर्षकों के बीच अंकों का वितरण Distribution of marks amongst various headings:

	Factors/Headings	Maximum Marks	Qualifying Marks
(1)	Professional ability(written test)	75	45
(2)	Classroom Trail(Vice-voce)	25	-
	Total	100	60

5. परीक्षा की तिथि DATE OF EXAMINATION:

परीक्षा की तारीख, स्थान और समय अलग से सूचित किया जाएगा। हालाँकि, स्वयंसेवी कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वालों के लिए कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि चयन स्वयंसेवकों को बुलाकर किया जाता है। The date, venue and time of examination will be intimated separately. However, it is to be advised to the volunteering staff that there will be no supplementary examination to the absentees in the examination, since the selection is by calling volunteers.

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS:

इच्छुक और योग्य स्वयंसेवकों को अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में अपने नियंत्रक पर्यवेक्षकों को 10-05-2024 को या उससे पहले जमा करने होंगे, जो 13-05-2024 को या उससे पहले आवेदनों को एक समूह में नियंत्रण अधिकारियों को भेज देंगे। नियंत्रण अधिकारी 14-05-2024 को या उससे पहले

सभी आवेदनों को एक समूह में इस कार्यालय में अग्रेषित करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन में सभी प्रासंगिक कॉलम पूरी तरह से भरे जाने चाहिए और "एनए" दर्शाने वाले अनुपयुक्त कॉलम को काट दिया जाना चाहिए और आवेदन में जहां भी निर्दिष्ट हो, नियंत्रक पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसा नहीं किया जाएगा। माना। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियंत्रण पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

The willing and eligible volunteers has to submit their applications in prescribed proforma to their controlling supervisors on or before **10-05-2024** who will forward the applications in one bunch to the controlling officers on or before **13-05-2024**. The controlling officer has to forward all the applications in one bunch to this office on or before **14-05-2024**. Applications received after the last date will summarily be rejected without assigning any reason.

It may be noted that all the relevant columns in the application should be filled completely & strike out the inapplicable columns indicating as "NA" and forward duly verified & certified by the controlling supervisors/officers wherever specified in the application or otherwise same will not be considered.

The applications received beyond the last date should not be entertained and rejected invariably by the controlling supervisors/officers and same will not be considered.

7. कर्मचारियों को सूचित करना: NOTIFYING TO THE STAFF:

रायपुर मंडल के परिचालन विभाग के पात्र कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। अधिसूचना की एक प्रति किसी विशिष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/छुट्टी/बीमार पर हैं उन्हें भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे समय पर अपने आवेदन जमा कर सकें। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की होनी चाहिए। आगे यह सलाह दी जाती है कि चयन के संबंध में प्राप्त कोई भी अन्य संचार अनिवार्य रूप से सभी पात्र कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। Wide publicity should be given to this notification amongst the eligible staff of Operating Department of Raipur Division. A copy of notification should be displayed on a notice board at a conspicuous place. Staffs who are on deputation/leave/sick should also be notified to enable them to submit their applications in time. It should be the responsibility of senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect. It is further advised that any other communication received in respect of the selection should invariably be intimated to all the eligible employees. Any laxity in this regard will be viewed seriously.

8. सामान्य जानकारी GENERAL INFORMATION:

- a. उपरोक्त लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को उचित पहचान ज्ञापन के साथ परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। To attend the above written exam, candidate is advised to attend on scheduled date of exam along with proper identification memo.
- b. यूनिट प्रभारी को सलाह दी जाती है कि वह उचित पहचान ज्ञापन के साथ कर्मचारियों को समय पर मुक्त कर दें। Unit in charge is advised to release the staff in time with proper identification memo.
- c. यदि उम्मीदवारों की ओर से किसी अनुचित साधन का उपयोग देखा जाता है, तो उन्हें परीक्षा हॉल छोड़ने के लिए कहा जाएगा और डीएआर के तहत कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। If use any unfair means is noticed from the candidates, they shall be asked to leave the examination hall and has to face action under DAR also.
- d. यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो बिना किसी सूचना के चयन के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। If any discrepancy is found at any stage in regard to the applicant the candidature is liable to be cancelled at any stage of selection without any information.

प्रतिलिपि/Copy to: - सीनियर डीओएम/आर और सीनियर डीपीओ/ऑफिस/आर का नोटिस बोर्ड/Sr.DOM/R & Notice Board of Sr.DPO/Office/R.

Digitally Signed by Nikita

Agrawal

Date: 30-04-2024 14:35:25

Reason: Approved

सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते, वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी

Application proforma for the Ex-Cadre post of Instructor(Operating) in
STC/BMY

ANEXXURE 'A'

New passport
size
Photographs

No.	Particulars	:	Details
1	Name of the candidate (in capital)	:	
2	Father's Name	:	
3	Present Designation	:	
4	Present scale of Pay/Pay Matrix Level(Mentioned the date necessary)	:	
5	Caste whether UR/SC/ST	:	
6	P.F. No./ NPS No.	:	
7	Working under /Office /Station /Unit	:	
8	Date of Birth	:	
9	Age on 29-04-2024 according to Y/M/D	:	
10	Date of Appointment	:	
11	Initially appointed as (post)	:	
12	Date of promotion to the present grade	:	
13	Educational Qualification (Attested copy to be enclosed)	:	
14	Professional background i.e. working experience	:	
15	Remarks, if any	:	

Signature of Employee

Date:

Name:

Place:

Designation:

The particulars given above are verified and found correct.

Tentative syllabus for the post of Training centre Instructor

(1)	Rajbhasha. राजभाषा
(2)	Relevant Para of G&SR, Operating Manual, Accident Manual & BWM. जी & एसआर, ऑपरेटिंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल तथा ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के प्रासंगिक पैरा।
(3)	Signaling and Interlocking. सिगनल एवं इंटरलॉकिंग
(4)	Classification & working of stations. स्टेशन का वर्गीकरण एवं कार्य प्रणाली
(5)	Shunting and Marshalling Rules. शंटिंग एवं मार्शलिंग नियम
(6)	Control organisation. नियंत्रण संघठन
(7)	System of Trains working in Raipur Division. रायपुर मंडल में ट्रेन की कार्यप्रणाली
(8)	Caution Orders, Caution Boards & Notice Station. सतर्कता आदेश, सतर्कता बोर्ड एवं नोटिस स्टेशन
(9)	Accidents and unusual occurrences & Disaster management, Safety seminars. दुर्घटना एवं असामान्य घटना तथा आपदा प्रबंधन, संरक्षा संगोष्ठी
(10)	Operating records and Registers. परिचालन रिकॉर्ड एवं रजिस्टर
(11)	Operating Statistics, Section capacity, Line capacity, Census, Working Time Table, Brake Power Certificate, Station Working Rule. ऑपरेटिंग आंकड़े, सेक्शन कैपेसिटी, लाइन कैपेसिटी, सेन्सस, कार्य समय सारणी, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, स्टेशन संचालन नियम
(12)	Rules of allowing various types of blocks in the Section, Siding works, movement of ODC, Schedule of traffic, Allotment and loading. खंड में विभिन्न प्रकार के ब्लॉक नियम, साइडिंग के कार्य, ओ.डी.सी. का परिचालन, यातायात सूचि, आबंटन और लोडिंग
(13)	Different types of goods and coaching stock, vehicle codes and various marks painted on wagons and coaches. विभिन्न प्रकार के माल तथा यात्री स्टॉक, गाड़ी कोड एवं वैगन तथा कोच में विभिन्न मार्क
(14)	System of working of Sidings, Commodities in Raipur Division. रायपुर मंडल में साइडिंग की कार्यप्रणाली तथा कमोडिटी (वस्तु)
(15)	Leave & Pass Rules and D&A provisions. छुट्टी एवं पास के नियम और अनुशासन एवं अपील प्रवधान।
(16)	Working of material trains, TMM. टी एम एम, माल गाड़ियों का कार्यप्रणाली
(17)	Commercial activities in stations, Damurrage & Warfage स्टेशनों एवं साइडिंग में वाणिज्यिक गतिविधियाँ, डैमरेज (विलंब शुल्क) तथा वारफेज

Date:- 08.04.2024

Sr. Divl. Operations Manager
S.E.C.Railway, Raipur